न्यायालय सिविल जज (सीoडिo)/द्रुतगामी, वाराणसी।

मूलवाद संख्या-1224/2022

CNR No-UPVR050018382022

अब्दुल सलाम वगै० **बनाम** मोहम्मद शमीम उर्फ शमीर अख्तर वगै०

28.07.2023

पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र 18 क पर सुना गया ।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 18 क-

वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 18 क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त दाखिल करने के पश्चात प्रतिवादीगण ने आपस में किये गये सट्टा इकरारनामा को समाप्त कर लिया। मुकदमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण बावजूद जानकारी हाजिर होकर कोई प्रतिवादी नहीं किया है। अतः वादीगण द्वारा मुकदमें को वापस किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक/निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादीगण उक्त वाद को लड़ना नहीं चाहते हैं तथा वापस लेना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लिखित करना उचित प्रतीत होता है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी ही वाद का स्वामी होता है। वादी किसी भी स्तर पर अपने वाद को वापस लेने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार जब वादीगण स्वयं वाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं उस स्थिति में वादीगण को वाद चलाने हेतु विवश नहीं किया जा सकता।

समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र 18 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 18 क स्वीकार किया जाता है। वादीगण को उसका वाद वापस किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(आकाश वर्मा)
सिविल जज(सी०डि०)/
द्रुतगामी, वाराणसी।
JO CODE-UP2287

(पंकज सिंह)
आशुलिपिक

Digitally signed by AKASH VERMA
Date: 2023.07.28 17:32:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court